

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीटारसन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-57 / 2015

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

देवीलाल पुत्र गुणेशजी जाति धांची के वारिसान

1/1.श्रीमति मेधादेवी पत्नी देवीलाल (देवाराम)

1/2.बाबुलाल पुत्र देवीलाल (देवाराम) जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

1/3.श्रीमति सुन्दरदेवी पुत्री देवीलाल (देवाराम) पत्नी गोरधनजी जाति धांची निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर

1/4.रामलाल पुत्र देवीलाल (देवाराम)

1/5.लादूशम पुत्र देवीलाल (देवाराम)

1/6.अचलाराम पुत्र देवीलाल (देवाराम)

1/7.सूजाराम पुत्र देवीलाल (देवाराम) जाति धांची निवासी कानाना

तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर

चुन्नीलाल पुत्र गुणेशजी के वारिसान

1/1.पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल

1/2.सांवलराम पुत्र चुन्नीलाल

1/3.राणाराम पुत्र चुन्नीलाल

1/4.मूलाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा

1/5.मथरादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी कानाराम जाति धांची निवासी पारलू तहसील पचपदरा

1/6.बगसूदेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी मुल्तानजी जाति धांची निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा

1/7.लीलादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी बाबुजी जाति धांची निवासी द्वितीय रेल्व कोसिग्र के आगे बालोतरा जिला बाड़मेर

2.गिरधारीलाल पुत्र गुणेशजी के वारिसान

2/1.भंवरीदेवी बेवा गिरधारीलाल

2/2.शंकरलाल पुत्र गिरधारीलाल

2/3.पारसमल पुत्र गिरधारीलाल

2/4.मगराज पुत्र गिरधारीलाल जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा

2/5.श्रीमति अमकू पुत्री गिरधारीलाल पत्नी धनजी जाति धांची निवासी सतलाना तहसील लूणी जिला जोधपुर

2/6.श्रीमति कुका पुत्री गिरधारीलाल पत्नी पारसमल जाति धांची निवासी बालोतरा जिला बाड़मेर

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

(Handwritten signature)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक-07.7.2023

सक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा कानाना तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 173 रकबा 40-12 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 25.5.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पंचपदरा को मौजे पर पक्षकारान का बाई मिटर एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पंचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार बाई मिटर एण्ड वाउण्डस आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वकील वादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया। लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते-विभाजन प्रस्ताव पर विधिक आपर्ति वायत पेश की गई थी, जो वाद सुनवाई प्रार्थना पत्र में सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण आदेश पृथक से लिखा जाकर खारिज की गई। विभाजन प्रस्ताव माफिक अंतिम डिक्री जारी की जानी न्यायसंगत है।


लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कानाना तहसील पंचपदरा की खेत खसरा संख्या 173 रकबा 40-12 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	करंग
1	देवीलाल के कायम मुकाम-बाबुलाल रामलाल लादूराम अचलाराम सूजाराम पि.देवीलाल सुन्दरदेवी पुत्री देवीलाल मेथीदेवी पत्नि देवीलाल कौम धांची रहन-बी. सी.सी.बी. बहि.सा.देह खातेदार	कानाना	173/1	2.1907	बा.अ.	7.306	लाल
2	चुन्नीलाल के कायम मुकाम-पेमाराम सांवलराम राणाराम मूलाराम पि.चुन्नीलाल तगीदेवी पत्नि चुन्नीलाल मथरादेवी बक्सुदेवी तीलादेवी पुत्रिया चुन्नीलाल धांची बहि. सा.देह खातेदार	कानाना	173/2	2.1907	बा.अ.	7.306	बैंगनी
3	गिरधारीलाल के कायम मुकाम-शंकरलाल पारसमल मगराज पि.गिरधारीलाल भंवरीदेवी पत्नि गिरधारीलाल झमकदेवी भागूदेवी पुत्रिया गिरधारीलाल धांची बहि.सा. देह खातेदार	कानाना	173/3	2.1907	बा.अ.	7.306	हरा



(Signature)
 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा


तहसीलदार,पंचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण
बाद जांच तसदीक करें,सलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तसमीम अंकित करे,राजसव रिकॉर्ड में
विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री
पर्या मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करे ।



(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.7.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा
(S.D.O.)

**मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा**

पीठासीन अधिकारी:—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
देवीलाल पुत्र गुणेशजी जाति धांची के वारिसान		चुन्नीलाल पुत्र गुणेशजी के वारिसान
1/1.श्रीमति मेथीदेवी पत्नी देवीलाल (देवाराम)		1/1.पेमाराम पुत्र चुन्नीलाल
1/2.बाबुलाल पुत्र देवीलाल (देवाराम) जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1/2.सांवलराम पुत्र चुन्नीलाल
1/3.श्रीमति सुन्दरदेवी पुत्री देवीलाल (देवाराम) पत्नी गोरधनजी जाति धांची निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर		1/3.राणाराम पुत्र चुन्नीलाल
1/4.रामलाल पुत्र देवीलाल (देवाराम)		1/4.मूलाराम पुत्र चुन्नीलाल जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा
1/5.लादूराम पुत्र देवीलाल (देवाराम)		1/5.मथरादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी कानाराम जाति धांची निवासी पारलू तहसील पचपदरा
1/6.अचलाराम पुत्र देवीलाल (देवाराम)		1/6.वगसूदेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी मुत्तानजी जाति धांची निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा
1/7.सूजाराम पुत्र देवीलाल (देवाराम) जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1/7.लीलादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी बाबुजी जाति धांची निवासी द्वितीय रेल्वे कोसिया के आगे बालोतरा जिला बाड़मेर
		2.गिरधारीलाल पुत्र गुणेशजी के वारिसान
		2/1.भंवरीदेवी बेवा गिरधारीलाल
		2/2.शंकरलाल पुत्र गिरधारीलाल
		2/3.पारसमल पुत्र गिरधारीलाल
		2/4.मगराज पुत्र गिरधारीलाल जाति धांची निवासी कानाना तहसील पचपदरा
		2/5.श्रीमति झमकू पुत्री गिरधारीलाल पत्नी धनजी जाति धांची निवासी सतलाना तहसील लूणी जिला जोधपुर
		2/6.श्रीमति कुका पुत्री गिरधारीलाल पत्नी पारसमल जाति धांची निवासी बालोतरा जिला बाड़मेर
		3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा



(Handwritten Signature)

**सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा**

वादावधि वाद वाक्यतः-53 आर टी.एक्ट
पत्र क्रमा नम्बर :57 /2005
निर्णय दिनांक :-07.7.2023

वादीगण की ओर से श्री जेठाराम सिंहल अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम शोरी की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 के वारिसान अनुपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 03 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.7.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 07.7.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 07.7.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा



वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादीगण		
	रूपया	रूपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	---	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	---
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	--	जोड़	---


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा